न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 22/2024 तारीख दायरा:–09.04.2024

त्रिलोकचंद पुत्र मदनलाल जाति वैश्य निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

----वादी

बनाम

1. किशन पुत्र लालाराम
2. गोरधन पुत्र कल्ला
3. शोभाराम पुत्र गोरधन
4. मुकेश पुत्र गोरधन
5. सुक्कन पुत्र गोरधन
   जातियान माली निवासीयान कातवान मौहल्ला कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।
6. श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर जिला डीग।

-------प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री ललित अवस्थी वादी।
2. अधिवक्ता श्री दिनेश चंद गुप्ता प्रतिवादीगण।

निर्णय दिनांक:–01.04.2025

वादी द्वारा यह वाद इस न्यायालय मे इस आशय का संस्थित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 3173/2527/0.13 बाके कस्बा नगर तहसील नगर वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी कय शुदा की आराजी है। जिसे वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के पिता लालाराम पुत्र कल्ला से दिनांक 31.05.1990 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर कब्जा मौके पर प्राप्त किया था और वक्त खरीद से वादी अपने कयशुदा आराजी पर काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है जिससे प्रतिवादीगण का कोई सबंध किसी किस्म का आज दिन तक मौके पर नही है चूकि विवादित आराजी खसरा नं0 2527/0.53 है0 था जिसका विभाजन होने पर वादी को आराजी खसरा नं0 3173/2527/0.13 प्राप्त हुआ, जिसके एम तरफ रास्ता आम सडक सरकारी नगर से कठूमर आराजी खसरा नं0 2523 है तथा दूसरी तरफ आम रास्ता आम ग्रेवल सडक कस्बा नगर से कठूमर रोड पर निकलने वाला रास्ता है तथा एक तरफ आराजी खसरा नं0 3172/2527/0.13 सहकाश्तकार की आराजी है तथा दुसरी तरफ अन्य काश्तकार की आराजी खसरा नं0 3174/2527/0.01 है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का वादी की आराजी से कोई सरोकार व सम्बंध किसी भी किस्म का नही है। वादी ने रास्ता आम खसरा नं0 2528 की तरफ अपनी आराजी की सुरक्षा दीवार बना रखी है तथा जैसे ही वादी ने सडक सरकारी रास्ता आम खसरा नं0 2523 की तरफ सुरक्षा दीवार बनाना शुरू किया तो प्रतिवादीगण विना किसी कानूनी अधिकार के वादी की आराजी पर नाजायज कब्जा करने की धमकी दे रहे है तथा सुरक्षा दीवार वादी द्वारा बनाई गई थी उसको भी तोड फोड कर कब्जा नाजायज करने की फिराक मे है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 05.04.2024 को वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की जिस पर वादी द्वारा मना किया तो

उप अधिकारी

प्रतिवादीगण झगडा फिसाद पर आमादा हो गये और ऐलानियॉ कहा कि हम जबरदस्ती लठठ व ताकत के बल पर तुम्हारी आराजी पर कब्जा कर तुम्हे बेदखल करके रहेगे तथा कच्चा पक्का निर्माण कार्य करगें। अगर प्रतिवादीगण अपनी धमकी व इरादे मे कामयाब हो गये तो वादी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ती जरै नगद अथव अन्य किसी प्रकार से संभव नही हो सकेगी। अत दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नं 3173/2527/0.13 वाके कस्बा नगर तहसील नगर मे वादी के शांतीपूर्ण कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार का अवरोध नही करे, वादी को सुरक्षा दीवार निर्माण करने से नही रोके तथा कब्जे काश्त से बेदखल ना करे, जोतने बोने से ना रोके, कब्जा नाजयज नही करे, कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे तथा पूर्व से बनी हुई सुरक्षा दीवार को ध्वस्त नही करे और अन्य ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे वादी के अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव पडे।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 ने हाजिर न्यायालय आकर इस आशय का जवाब दावा पेश किया है कि वादी द्वारा वाद पत्र महज प्रतिवादीगण को नाजायज तंग व परेशान की गरज से एंव आर्थिक व मानसिक क्षति पहुचाने के इरादे से वास्तविक तथ्यो को छिपाकर मनगंढत तथ्यो के आधार पर पेश किया है। वास्तविक रूप से नवीन खसरा नं0 2527/0.53 बाके कस्बा नगर का साविक खसरा नं0 1787 रकवा 4 बीघा 8 विश्वा रहा है, मौके पर साविक नं0 के रकबा मुताविक स्थिति सही है सैटिलमेंट विभाग द्वारा साविक नंबर का नवीन नंबर बनाते समय साविक नंबर के मुकाबले नवीन नंबर मे रकवा कम दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त कराने के लिये प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र वउनवानी मुस0 गौमा वगै0 बनाम कमलचन्द बगै0 पेश किया है। साविक खसरा नं0 के रकबा के मुकाबले कायम नवीन नं0 का रकबा 0.17 ऐयर कम आया है, मौके पर साविक खसरा नंबर के रकबा मुताविक स्थिति सही है। आज वर्तमान मे वादी के नाम 0.13 ऐयर जमीन राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है और वादी को कानूनन अपने 0.13 ऐयर रकबा की जमीन पर ही काबिज रहने का अधिकार सुरक्षित है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना नही है। वादी तो अपने 0.13 ऐयर जमीन के चक्कर मे बाकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, इसी इरादे से वादी ने यह दावा बिना किसी विवाद के एंव बिना किसी वाद कारण के न्यायालय मे पेश किया है अत जवाब दावा पेश कर निवेदन दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर वादी से प्रतिवादीगण को बतौर हर्जा खर्चा 15000 रूपया दिलाया जावे।

पत्रावली तनकीयात मे विचाराधीन रहते हुए वकील प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर कथन किया है कि वादी की खातेदारी मे दर्ज भूमि का वादी को तहसीलदार नगर से सीमाज्ञान करवा दिया जावे तो उन्हे कोई आपत्ति नही हो जिस पर वकील वादी द्वारा भी सहमती दी गई। अतः पत्रावली मे तनकीयात की आवश्यकता न होने से पत्रावली सीधी बहस मे नियत की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादी का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्व इसलिये किया गया है कि गत आराजी ख0नं0 2527/0.53 बाके कस्बा नगर था जिसका विभाजन 3171/2527/0.13, 3172/2527/0.13, 3173/2527/0.13, 3174/2527/0.01 तथा 2527/0.13 है0 मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड मे है इसी आराजी के दोनो तरफ सडक है प्रतिवादीगण का कोई संवध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण प्रार्थी/वादी की जायदाद पर कब्जा नाजायज करने की फिराक है इसलिये दावा वादी किया गया है। प्रकरण मे मूल विवाद आराजी के सीमाज्ञान तथा शेष

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

पी0डब्लू0डी0 विभाग की जमीन पडी है जिसकी आड मे प्रतिवादीगण वादी की जायदाद सहित सरकारी भूमि पर कब्जा नाजायज करने से रोकने के लिये उन्हे पावंद किया जाना आवश्यक है। प्रकरण मे मूल खसरा नं0 2527/0.53 बाके कस्बा नगर खेडली रोड की पैमाईश सभी काश्तकारान की उपस्थिति मे तहसीलदार नगर द्वारा सीमाज्ञान कराया जावे तथा मौके पर बनी सुरक्षा दीवार को क्षति पक्षकारान द्वारा नही पहुचाने हेतु पाबंद करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी वादी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे खसरा नं0 3173/2527/0.13 बाके कस्बा नगर तहसील नगर का सीमाज्ञान रिर्कोडेड खातेदार को प्रतिवादीगण की उपस्थिति मे तहसीलदार नगर द्वारा कराया जाने मे सहमती जाहिर की गई। जिस पर वादी वकील द्वारा भी सहमती दी तथा सहमती स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर भी किये। अत दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:आदेश:

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नगर को आदेशित किया जाता है कि खसरा नं0 3173/2527/0.13 बाके कस्बा नगर तहसील नगर की पैमाईश रिर्कोडेड खातेदारान की उपस्थिति मे की जाकर वादी को उनके हिस्से की आराजी नापकर दी जावे तथा उभय पक्षकारान को सीमा से अवगत कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे तहसीलदार नगर द्वारा कराये गये सीमाज्ञान अनुसार वादी की खातेदारी की भूमि में मदाख्लत मजाहमत नही करें।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

01/4/25

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तनाई
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 22 / 2024 तारीख दायराः–09.04.2024

त्रिलोकचंद पुत्र मदनलाल जाति वैश्य निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

–––––वादी

बनाम

1. किशन पुत्र लालाराम
2. गोरधन पुत्र कल्ला
3. शोभाराम पुत्र गोरधन
4. मुकेश पुत्र गोरधन
5. सुक्कन पुत्र गोरधन
   जातियान माली निवासीयान कातवान मौहल्ला कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।
6. श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर जिला डीग।

–––––––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी श्री ललित अवस्थी अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री दिनेश चंद गुप्ता अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नगर को आदेशित किया जाता है कि खसरा नं0 3173 / 2527 / 0.13 बाके कस्बा नगर तहसील नगर की पैमाईश रिर्कोडेड खातेदारान की उपस्थिति मे की जाकर वादी को उनके हिस्से की आराजी नापकर दी जावे तथा उभय पक्षकारान को सीमा से अवगत कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे तहसीलदार नगर द्वारा कराये गये सीमाज्ञान अनुसार वादी की खातेदारी की भूमि में बेदाख्लत मजाहमत नही करें।

डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.04.2025 को जारी की गयी।

01/04/25

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0